संख्या-423/78-1-2019-45आई0टी0/2016

प्रेषक,

आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1 समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश।
2 समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3 समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4 प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, निकायों, परिषदों एवं स्वायत्तशासी निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 **लखनऊ: दिनांक: 04 ~~मई~~ जून, 2019**

विषयः-मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए भूमिगत तार अवसंरचना तथा भूमि के ऊपर तार अवसंरचना/मोबाईल टावर की स्थापना एवं रख रखाव के लिए अनुमतियों/ अनापत्तियों हेतु ऑन लाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए प्रदेश शासन के विभागों/ प्राधिकरणों/संस्थाओं/समितियों इत्यादि में नोडल अधिकारी नामित किए जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 15 नवम्बर 2016 को "इण्डियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे रूल्स 2016" निर्गत किये गये थे जो देश में दूरसंचार के क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना एवं विकास हेतु समयबद्ध रूप से, राइट ऑफ वे अनुमोदन प्रदान किये जाने की प्रक्रिया से सम्बन्धित है।

2- भारत सरकार की तद्विषयक अधिसूचना दिनांक 16 नवम्बर 2016 को सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों इत्यादि द्वारा एकरूपता के आधार पर अंगीकृत किए जाने हेतु आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन का शासनादेश संख्या 852/78-1-2018-45 आईटी 2016 दिनांक 15 जून 2018 निर्गत किया गया है।

3- "इण्डियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे रूल्स 2016" के प्राविधानों के अन्तर्गत ऑन लाईन आवेदन प्रक्रिया के लिए आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एक पोर्टल www.uprow.in बनाया गया है तथा समस्त सेवा-प्रदाताओं तथा आवेदनकर्ताओं द्वारा प्रदेश शासन के विभागों/प्राधिकरणों/संस्थाओं/समितियों इत्यादि द्वारा मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए भूमिगत तार अवसंरचना तथा भूमि के ऊपर तार अवसंरचना/मोबाईल टावर की स्थापना एवं रख रखाव के लिए अनुमतियों/अनापत्तियों हेतु इस पोर्टल के माध्यम से ऑन लाइन आवेदन किये जा सकेंगे।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- उक्त पोर्टल पर प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों को सम्बन्धित संस्थाओं, जिनके द्वारा तत्सम्बन्धित कार्यों की अनुमति/अनापत्ति इत्यादि प्रदान की जानी होगी, को अग्रेतर कार्यवाही हेतु अग्रसारित किया जायेगा तथा सम्बन्धित विभागों/प्राधिकरणों/ संस्थाओं/समितियों इत्यादि के नोडल अधिकारी को इसका login id तथा पासवर्ड उपलब्ध करा दिये जायेंगे, जिसके लिए यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

5- सचिव, भारत सरकार, संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग के एक पत्र दिनांक 12 अप्रैल 2019 में 'राइट ऑफ वे पॉलिसी-2016' की धारा 4(1) में निहित व्यवस्था को उल्लिखित किया गया है जिसमें प्राविधान है कि **"प्रत्येक समुचित अधिकारी इन नियमों के प्रयोजनों के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा।"**

6- अतःअनुरोध है कि कृपया अपने विभागों/प्राधिकरणों/संस्थाओं/समितियों इत्यादि में एक नोडल अधिकारी नामित करते हुए उनका नाम, मोबाइल नॅ0, ई-मेल पता इत्यादि विवरण यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

7- उक्त पोर्टल पर ऑन लाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी तथा प्रणाली के परिचालन हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा शीघ्र ही प्रस्तावित है, अतएव कृपया उक्त सूचनायें शीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

(आलोक सिन्हा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-423(1)/78-1-2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 समाज कल्याण आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2 कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3 अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4 निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5 निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6 निजी सचिव, विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7 प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
8 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज बहादुर)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।